न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री हेमाराम पुत्र धर्माराम जी, जाति- भील, निवासी- धवली, तह. रेवदर, जिला-सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. श्री रुपा पुत्र राजाजी, जाति- कोली, निवासी- धानेरा, तहसील- रेवदर, जिला-सिरोही
2. श्री देवा पुत्र वजाजी, जाति- कोली, निवासी- धानेरा, तहसील- रेवदर, जिला-सिरोही
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर

राजस्व अपील संख्या: 124/2016

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 / धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री परीक्षित खरोर, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री मदनसिंह राव, प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या- 3 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 20 मार्च, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम धानेरा, पटवार हल्का डाक के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 9 दिनांक 11.6.1962 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु अपीलार्थी द्वारा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। जिस पर अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिंह राव उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या-3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण में धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत हुआ।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री खरोर ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम धानेरा, पटवार हल्का डाक, तहसील रेवदर में अपीलार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमि आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 299 रकबा 7.08 बीघा है। उक्त कृषि

....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

भूमि राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी के पिता श्री धरमा पुत्र कसना जी भील, निवासी- धानेरा के खातेदारी कब्जे काश्त की दर्ज थी। अपीलार्थी के पिता धरमा जी की मृत्यु के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पिता / दादा वजा पुत्र काना जी कोली ने तत्कालीन हल्का पटवारी से मेल मिलाप कर अपीलार्थी के पिता की उक्त खातेदारी भूमि का वजा पुत्र कानाजी कोली के नाम से नामान्तरकरण संख्या 9 दायर करवा लिया, जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 11.6.1962 को स्वीकृत किया गया है। जबकि तत्समय मौके पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त था एवं उक्त धर्मा जी पुत्र कसना जी भील का एकमात्र वारिस होने से वजा पुत्र कानाजी कोली के नाम से नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत नही किया जा सकता था। अपीलार्थी के पिता धरमा पुत्र कसनाजी भील की मृत्यु के समय अपीलार्थी नाबालिग था जिसका फायदा उठाकर प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के पिता व दादा ने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों से मेल मिलाप कर गलत रुप से अपने पक्ष में नामान्तरकरण करवा लिया। अधीनस्थ राजस्व कार्मिकों व अधिकारियों ने भी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के पिता व दादा के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत कर लिया। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि अपीलार्थी अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है एवं उक्त कृषि भूमि अपीलार्थी के पिता धरमा पुत्र कसनाजी भील के नाम से रेकर्ड में दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42(ख) के अनुसार किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की कृषि भूमि किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जा सकती है एवं न ही किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति के नाम से रेकर्ड में दर्ज की जा सकती है, लेकिन अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों ने अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की कृषि भूमि को अनुसूचित जाति के व्यक्ति वजा पुत्र काना जी कोली के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42(ख) का उल्लंघन किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि उक्त कृषि भूमि के मौके पर अपीलार्थी काबिज होने के बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 ने अपीलार्थी को कब्जा खाली करने की धमकी देते हुए यह बताया कि उक्त कृषि जमाबन्दी में प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के नाम से दर्ज है, तब अपीलार्थी ने उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड की नकल प्राप्त कर यह अपील जानकारी तिथि से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त RRD 1991 Page 218, RRT 2018(1) Page 186, RRC 1999 Page 11 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षि करते हुए यह व्यक्त किया कि मियाद की अवधि जानकारी तिथि से प्रारम्भ होती है, न कि आदेश की तारीख से प्रारम्भ होती है। अवैध व विधि विरुद्ध नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील पेश करने में हुए विलम्ब को घातक नही माना जा सकता है। अत: अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुए अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त किया जावे एवं विवादित भूमि को राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी के नाम से दर्ज करने हेतु तहसीलदार, रेवदर को निर्देशित किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री राव ने बहस के दौरान यह

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

व्यक्त किया कि विवादित भूमि के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या- 1 के दादा व प्रत्यर्थी संख्या-2 के पिता श्री वजा पुत्र कानाजी कोली, निवासी-धानेरा को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 19 के तहत नामान्तरकरण संख्या 9 दिनांक 11.6.1962 के द्वारा खातेदारी हक प्रदान किये गये है, जो नियमानुसार प्रदान किये गये है। विवादित भूमि के मौके पर प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 अपने पूर्व रसाधिकारी एवं खातेदार वजा पुत्र कानाजी कोली, निवासी- धानेरा के जरिये आदिनांक तक काबिज काश्त चले आ रहे है। विवादित भूमि के मौके पर अपीलार्थी या अपीलार्थी के पिता का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है, इस तथ्य की जानकारी अपीलार्थी को भलीभांति है। प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि उक्त नामान्तरकरण को धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत स्वीकृत किया गया है, जबकि अपीलार्थी ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की है जो कानूनन परिपोषणीय नही है। प्रत्यर्थी पक्ष के अधिवकता का यह भी तर्क रहा कि अपीलार्थी ने स्वर्गीय धरमा पुत्र कसनाजी भील का उत्तराधिकारी होने के संबंध में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नही की है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की खण्ड पीठ द्वारा प्रकरण संख्या:अपीडी/टीए/7128/2010/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 27.1.2014 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि अपीलार्थी ने प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 9 दिनांक 11.6.1962 के विरुद्ध यह अपील 54 वर्ष के बाद इस न्यायालय में प्रस्तुत की है, जबकि अपीलार्थी को प्रारम्भ से यह जानकारी रही है कि उक्त कृषि भूमि श्री वनाजी पुत्र कानाजी कोली के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जिनकी मृत्यु के बाद प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अपीलार्थी को इस तथ्य की भी भलीभांति जानकारी है कि विवादित भूमि के मौके पर प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 अपने पूर्व रसाधिकारी वजा पुत्र कानाजी कोली के जरिये काबिज काश्त चले आ रहे है, फिर भी अपीलार्थी ने बदनियति पूर्ण आशय से यह अपील अतिशय से विलम्ब से प्रस्तुत की है। अपीलार्थी ने यह अपील पेश करने में हुए विलम्ब की देरी के संबंध में प्रत्येक दिन का युक्तियुक्त एवं समुचित कारण नही दर्शाया है, जबकि विलम्ब की अवधि के प्रत्येक दिन का समुचित एवं युक्तियुक्त कारण दर्शाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील कानूनन परिपोषणीय नही है। अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण को तहसीलदार, रेवदर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 19 के तहत स्वीकृत किया गया है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि ग्राम धानेरा, पटवार हल्का डाक, तहसील रेवदर के खसरा संख्या 299 रकबा 7.08 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में श्री धरमा पुत्र कसना जी भील, निवासी- धानेरा के नाम से खातेदारी की दर्ज थी, जो तहसीलदार, रेवदर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनिय, 1955 की धारा 19 के

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तहत स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 9 दिनांक 11.6.1962 के द्वारा श्री वजा पुत्र कानाजी कोली, निवासी- धानेरा के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदारी दर्ज हुई।

प्रकरण में तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 11.6.1962 को स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 9 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 19.9.2016 को अपील प्रस्तुत की गई है जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। जहां तक, यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है? अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया है। जिसमें यह अंकित किया है कि अपीलार्थी को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में जानकारी होते ही अपीलार्थी ने राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी एवं नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है जिससे अपीलार्थी की कोई बदनियति या लापरवाही नही रही है। अपीलार्थी ने धारा 5 के उक्त प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ है परन्तु प्रत्यर्थी पक्ष ने अपने जवाब के साथ ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में अपीलार्थी को प्रारम्भ से ही जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण के विरुद्ध यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में कोई लापरवाही या बदनियति नही रही है तथा अपील पेश करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक है। विधिक दृष्टान्त आर.आर.सी. 1999 पेज 11 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "मियाद अवधि जानकारी की तारीख से प्रारम्भ होती है न कि आदेश की तारीख से।" ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी द्वारा विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुए इस प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना उचित पाया जाता है।

इस प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमि पूर्व में राजस्व रेकर्ड में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति श्री धरमा पुत्र कसना जी भील, निवासी- धानेरा के नाम से बतौर खातेदार दर्ज थी, जो प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 9 दिनांक 11.6.1962 के द्वारा श्री वजा पुत्र काना जी कोली, निवासी- धानेरा के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज हुई है, जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2072-2075 में भी उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 299 रकबा 7.08 बीघा श्री रुपा पुत्र राजा जी व श्री देवा पुत्र वजा जी कोली, निवासी- धानेरा के नाम से बतौर खातेदार दर्ज है।

यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42(ख) के अनुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है एवं न ही अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी कृषि भूमि अनुसूचित जाति या गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज जा सकती है। चूंकि इस प्रकरण में, अनुसूचित

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जनजाति के व्यक्ति श्री धरमा पुत्र कसना जी भील की उक्त खातेदारी कृषि भूमि को प्रश्नगत नामान्तरकरण के द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति श्री वजा पुत्र काना जी कोली के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42(ख) का उल्लंघन है।

अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम धानेरा, पटवार हल्का डाक के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 9 दिनांक 11.6.1962 को निरस्त **किया जाता** है एवं प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, रेवदर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के पूर्व खातेदार श्री धरमा पुत्र कसना जी, जाति- **भील**, निवासी- धानेरा के विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में पूर्ण रुप से जांच करके पुन: विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही